

मध्य प्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग- दो

गुरुवार, दिनांक 01 फरवरी, 2018 (माघ, 12, 1939)

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण एवं शून्यकाल की सूचनाएं विधान सभा भवन में प्राप्त करने संबंधी व्यवस्था

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण एवं शून्यकाल की सूचनाएं दिनांक 21 फरवरी, 2018 से विधान सभा भवन में प्राप्त की जायेंगी।

प्रथम बैठक हेतु उपर्युक्त सूचनाएं दिनांक 21 फरवरी से 24 फरवरी, 2018 तक पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी। तत्पश्चात विधान सभा बैठक कार्य दिवसों में सूचनाएं लेने का समय प्रातः 7.30 बजे से 4.00 बजे सायं या सभा की बैठक समाप्ति तक रहेगा।

प्रथम दिवस की सूचनाओं हेतु विधान सभा भवन के मुख्य द्वार पर सूचना देने वाले माननीय सदस्यों, तदनंतर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को उपस्थित मार्शल द्वारा क्रमानुसार टोकन उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्य द्वार पर उपस्थित टोकनधारियों को सूचना देने हेतु भीतर जाने की अनुमति निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व दी जाएगी। प्राप्त टोकन पर अंकित क्रमानुसार सूचना विधान सभा भवन स्थित कक्ष क्रमांक 329 (द्वितीय तल) में श्री पुनीत श्रीवास्तव, संचालक या उपस्थित अधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेगी।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (7) (क) के अनुसार कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिए स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचना नहीं देगा। प्रारंभिक दिनों में जो माननीय सदस्य एक से अधिक बैठकों की सूचनाएं एक साथ देना चाहेंगे, उन्हें ऐसी सूचनाओं में विषय का तिथिवार प्राथमिकता क्रम भी दर्शाना होगा।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 138 (1) के परंतुक के तहत कोई सदस्य एक बैठक के लिए दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं दे सकेगा। किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसी सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी है।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश विधान सभा